

47

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(1)चिस्वा/2/2018पार्ट

जयपुर,दिनांक: 29.1.19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.17, 12.09.18 एवं 22.10.18 द्वारा पीजी करने वाले चिकित्सको को स्वीकृत किये गये अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.17, 12.09.18 एवं 22.10.18 द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1. समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.17 द्वारा डा श्याम लाल कुमावत, अध्ययनरत एस.एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर को स्वीकृत अवकाश अवधि दिनांक 26.05.17 से 25.05.20 के स्थान पर 26.05.17 से 25.05.19 संशोधित किया जाता है।
2. समसंख्यक पत्र दिनांक 12.09.18 द्वारा निम्स कॉलेज में अध्ययनरत डॉ शिवप्रसाद को स्वीकृत अध्ययन अवकाश के दौरान नियमानुसार वेतन भत्ते उनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.18 द्वारा डॉ राजकुमार भाटी, आर.एन.टी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के पीजी अध्ययनरत विभाग में नेत्र रोग के स्थान पर ईएनटी किया जाता है।

अग्रिम कार्यवाही से पूर्व निदेशालय/सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें। शेष शर्तें मूल स्वीकृति के अनुसार रहेंगी।

भवदीय,

शासन सहायक सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
2. रक्षित पत्रावली।

(ओ0 पी0 वर्मा)
शासन सहायक सचिव

अज्ञात - 2 पेज

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
कम : ई/चिअ/पीजी/2019/ 1499 दिनांक 29/01/2019

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर/जोधपुर/गीतांजली मेडिकल कॉलेज/कोटा/जयपुर/अजमेर/झालावाड़/दासवानी डेण्टल कॉलेज, कोटा एवं महात्मा गाँधी मेडीकल कालेज जयपुर।
6. कार्यालय अधीक्षक एटी सैल मुख्यालय।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभागीय वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
8. सम्बन्धित डीए को चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

बालम
29/1/19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।